मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail: mdmandiboard@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक / बी–5 / 2 / E-Mandi & E-Anugya / 2018 / 844 भोपाल दिनांक 15 मई 2018

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला .... (म0प्र0)

विषयः–ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल का ऑनलाईन क्रियान्वयन आरम्भ किये जाने संबंधी।
संदर्भः–01. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / बोर्ड / स्वी / विविध / 757 / 303 दिनांक 09 जून 2015।
02. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / बोर्ड / भा.भु.यो. / 2017 / 746 दिनांक 22 दिसम्बर 2017।
03.कार्यालयीन पत्र क्रमांक / नियमन / ईमण्डी / 2017–18 / 521 / 4013 दिनांक 01.02.2018।

–0–

(01) भारत सरकार की एगमार्कनेट योजना, कार्यालयीन पत्राचार में ई–मेल सुविधा के उपयोग हेतु, ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल, Tally Accounting Software, भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना क्रियान्वयन अंतर्गत प्रदेश की मण्डी समितियों में कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. इत्यादि हार्डवेयर स्थापित किये गये हैं यथा क्रय की अनुमति संदर्भित पत्रों से प्रदान की गई है की प्रति सुलभ संदर्भ के लिये संलग्न है का अवलोकन करें।

(02) तृतीय संदर्भित पत्र दिनांक 01 फरवरी 2018 से ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल का ऑनलाईन क्रियान्वयन किये जाने हेतु आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर व जन संसाधन औचित्य प्रतिपादित कर उपार्जित करने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही मण्डी समितियों में उपलब्ध संसाधनों का मेन्टेनेंस (रख–रखाव) करा अद्यतन किये जाने संबंधी विस्तृत निर्देश दिये गये हैं जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ के लिये संलग्न है का अवलोकन करें।

(03) वर्तमान में मण्डी बोर्ड के सहयोग से एन0आई0सी0 भारत सरकार की साफ्टवेयर डेव्हलपमेंट टीम के द्वारा ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल के ऑनलाईन वर्जन को अंतिम रुप दिये जाने का कार्य प्रगति पर है। विषय संदर्भ में दिनांक 05 मई 2018 को मण्डी बोर्ड मुख्यालय में सम्पन्न आंचलिक संयुक्त / उप संचालकों की मासिक समीक्षा बैठक में दिनांक 01 जुलाई 2018 से प्रदेश की समस्त मण्डी समितियों में एक साथ ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल का ऑनलाईन क्रियान्वयन आरम्भ किये जाने की जानकारी देकर समस्त औपचारिकताओं की तैयारियॉ समय सीमा में पूर्ण कर लेने के निर्देश दिये हैं।

अतः समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समितियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी अपनी मण्डियों में पूर्व से उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता एवं वैद्य एंटी वायरस आदि की क्रियाशीलता तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें साथ ही इनके वार्षिक रख–रखाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।

(04) उपरोक्त प्रदाय यथा उपलब्ध कम्प्यूटर सामग्री के अतिरिक्त यदि किसी मण्डी समिति को ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल के ऑनलाईन क्रियान्वयन के लिये कम्प्यूटर / लेपटाप, एण्ड्राईड टेबलेट, लेसर प्रिंटर, मल्टी परपस प्रिंटर (MFP), यू0पी0एस0 की आवश्यकता होती है तो संबंधित

मण्डी सचिव औचित्य व आवश्यकता प्रतिपादित करते हुये संलग्न परिशिष्ट–''01'' में उल्लेखित स्पेसीफिकेशन अनुसार कम्प्यूटर सामग्री भण्डार क्रय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये मण्डी निधि से क्रय करने की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है :–

(i) संलग्न परिशिष्ट–''01'' अनुसार स्पेसीफिकेशन की कम्प्यूटर सामग्री ही क्रय की जाये।

(ii) क्रय की कार्यवाही म0प्र0 भण्डार क्रय नियमों की प्रक्रिया से ही की जाये।

(iii) व्यय का प्रावधान कर मण्डी समिति से पुष्टि प्राप्त करें।

उपरोक्त निर्देशों यथा शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर आवश्यक व्यवस्था दिनांक 25 मई 2018 तक पूर्ण कर ली जाकर उपलब्ध संसाधन स्थिति व पालन प्रतिवेदन दिनांक 30 मई 2018 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/E-Mandi & E-Anugya/2018/845 भोपाल दिनांक 15 मई 2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म0प्र0)।

(02) अपर संचालक (वित्त)/अपर संचालक (कार्मिक व रा.कृ.बा.यो.)/अपर संचालक (योजना), अपर संचालक (नियमन व एम.आई.एस.)/अपर संचालक (मु.भा.भु.यो.) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(03) संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0) :– अंचल की मण्डी समितियों में उपरोक्त कार्यवाही एक अभियान चलाकर त्वरित पूर्ण की जाये।

(04) श्री ए0एन0सिद्धीकी, तकनीकी निदेशक भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(05) श्री वर्गीस अब्राहम, साईंटिस्ट–''इ'', भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(06) श्री अंबर पाण्डे, प्रिंसिपल कन्सलटेंट, मेपआईटी, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(07) श्री सिद्धार्थ कुर्रे, प्रिंसिपल कन्सलटेंट, मेपआईटी, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट - 01

Cost Estimate for Required Hardware for e-Anugya

S.No.	Item	Requirement					Spectification	Per Itemt Cost (approximate)
			A-Class Mandi	B-Class Mandi	C-Class Mandi	D-Class Mandi		
1	Desktop/Laptop	Office	2	2	1	1	(15.6" Screen, Windows, 4GB RAM, 1TB HDD, Core i3 or above with Anti virus)	₹ 30,000
2	Android Tablet	Inter State barrier & Office	5	4	3	3	7"+ Screen with 2GB +RAM or Above, 4G SIM Marshmallow or above	₹ 13,500
3	Multi purpose printer (MFP) Printer	Office	1	1	1	1	mono+scanner 25 ppm MFP (A4 Size) (with 3 Yrs Warranty	₹ 16,500
4	Normal Laser Printer	Office	2	2	1	1	monochrome, 16+PPM	₹ 11,300
5	UPS	Office	2	2	1	1	UPS - 1KVA Minimum 30 mini. Backup, 3 year warranty	₹ 5,000

Sandeep
संदीप कुमार चौबे
चीफ प्रोग्रामर
मण्डी बोर्ड भोपाल

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान–भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/विविध/757/ 303 भोपाल, दिनांक 09 /06/2015

प्रति,

सचिव, (समस्त)

कृषि उपज मण्डी समिति,

.... जिला .... (म.प्र.)

विषय:- प्रदेश की मण्डी समितियों को आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर क्रय कर लगाने के संबंध में।

-0-

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में दिनांक 25.5.2015 से टेली सॉफ्टवेयर एवं ई-अनुज्ञा लागू किये जाने एवं कार्य को त्वरित गति से करने के लिये प्रदेश की विभिन्न मंडियों द्वारा कम्प्यूटर की मांग की जा रही है।

अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन किये जाने हेतु प्रदेश की मण्डी समितियों को स्वीकृत बजट प्रावधान के अन्तर्गत भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये अपनी आवश्यकतानुसार म0प्र0 लघु उद्योग निगम के माध्यम से कम्प्यूटर क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/विविध/757/ 304 भोपाल, दिनांक 09 /06/2015

प्रतिलिपि:-

(1) संयुक्त/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,................. । कृपया उपरोक्त निर्देशों के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26– अरेरा हिल्स, किसान भवन जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / भा.भु.यो. / 2017 / 746 भोपाल, दिनांक 22/ 12 / 2017

प्रति,

सचिव (समस्त)
कृषि उपज मंडी समिति,
....

विषयः–मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना हेतु कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर सप्लाई के संबंध में।

मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के लिये मुख्यालय स्तर से फर्म बालाजी कम्प्यूटर्स एण्ड कारपोरेशन इन्दौर को डेस्कटॉप कम्प्यूटर एवं लेपटॉप कम्प्यूटर, फर्म यश साल्यूशन भोपाल को यू.पी.एस., फर्म आस्था सेल्स भोपाल 1 के.व्ही.ए. इनर्वटर तथा फर्म ओयस्टर सर्विसेस भोपाल को 1.5 के.व्ही.ए. इनर्वटर प्रदाय करने हेतु क्रय–आदेश किये गये हैं। इन क्रय– आदेश की छायाप्रतियां सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

उपरोक्त प्रयोजन के लिये कृषि उपज मंडी समितियों के श्रेणी अनुसार प्रदाय की जाने वाली प्रश्नाधीन सामग्री तथा उनकी संख्या का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र	मंडी की श्रेणी	डेस्कटॉप	लेपटॉप	यू.पी. एस.	इनर्वटर 1 प्रति मंडी	लेजर प्रिंटर
1	"अ" वर्ग की मंडी	3	2	3	1.5 KVA	लेजर प्रिंटर क्रय कर प्रदाय करने के लिये मुख्यालय द्वारा पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।
2	"ब" वर्ग की मंडी	2	2	2	1.5 KVA	
3	"स" वर्ग की मंडी	2	1	2	1 KVA	
4	"द" वर्ग की मंडी	1	1	1	1 KVA	

उपरोक्तानुसार सामग्री प्रदायक संस्था से आपकी मंडी समिति के लिये निर्धारित संख्या में सामग्री प्राप्त करें तथा उसको भावान्तर भुगतान योजना अन्तर्गत निर्धारित स्थान पर स्थापित एवं कार्यशील करवाये।

उपरोक्त प्राप्त सामग्री को सफलतापूर्वक स्थापित एवं कार्यशील होने पर उसका कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र प्रदायक संस्था के कर्मचारी को प्रदाय करें तथा इस प्रमाणपत्र की एक–एक प्रति ऑचलिक संयुक्त संचालक कार्यालय तथा अपर संचालक (भण्डार / क्रय) मुख्यालय भोपाल को भेजी जाये।

उक्त कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र के आधार पर मुख्यालय स्तर पर संबंधित संस्था द्वारा प्रदाय की गई सामग्री का भुगतान किया जायेगा।

उक्त संस्था द्वारा देयक के साथ कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही संबंधित को भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

इसका विशेष रुप से ध्यान रखा जावे कि सामग्री प्रदाय उपरांत 15 दिवस की समय–सीमा में संबंधित फर्म को भुगतान करना होगा।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक–बी–/भा.भु.यो./ 2017/22/17 भोपाल, दिनांक 22 दिसंबर 2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त अपर संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
2. संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय .... को निर्देशित किया जाता है कि आपके संभाग की मंडी समितियों में प्रदाय किये जाने वाले डेस्कटॉप कम्प्यूटर, लेपटॉप कम्प्यूटर, यू.पी.एस. 1 के.व्ही.ए. इनर्वटर तथा 1.5 के.व्ही.ए. इनर्वटर आदि को समय–सीमा में इंसटॉल करवाकर मंडी सचिव से सफलतापूर्वक कार्यपूर्णता का प्रमाणपत्र प्राप्त कर मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही इन कम्प्यूटर सामग्रियों का मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना कार्य हेतु उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26 किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./मं.बो/भा.भु.यो/02/2017/667 भोपाल दिनांक 8 दिसम्बर 2017

प्रति,

मे. बालाजी कम्प्यूटर एण्ड कारपोरेशन,
130/205, सिटी सेंटर 570,
एम.जी. रोड, इंदौर (म.प्र.)

विषय :- डेस्कटॉप कम्प्यूटर एवं लेपटॉप क्रय के संबंध में।
संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक 24.11.2017।

—0—

विषयान्तर्गत लेख है कि डेस्कटॉप कम्प्यूटर, एवं लेपटॉप जैम के माध्यम से क्रय करने हेतु न्यूनतम दरें आपकी फर्म की होने से दिनांक 22.11.2017 को जैम के माध्यम से ऑनलाईन कार्यादेश प्रदाय किया गया है। जिसमें आपकी फर्म मे. बालाजी कम्प्यूटर एण्ड कारपोरेशन, इंदौर को 443 डेस्कटॉप एवं 338 लेपटॉप कार्यालय द्वारा प्रदाय की जा रही सूची तथा मंडी की श्रेणी अनुसार दी गई मांग के आधार पर संलग्न सूची अनुसार मंडी समितियों को प्रदाय किये जाना है।

उपरोक्तानुसार सुलभ संदर्भ के लिए मंडीयों में प्रदाय किये जाने वाली सामग्री की संख्या तथा मंडीया की सूची एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रय आदेश की राशि का दो प्रतिशत के मान से बैंक गारंटी का फार्मेट का प्रारूप भी संलग्न है।

अतः दी गई बैंक गारंटी के प्रारूप पर बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रय आदेश की राशि का दो प्रतिशत मान से बैंक गारंटी तैयार कर शीघ्र मंडी बोर्ड कार्यालय में जमा कराये जाने की व्यवस्था करें, तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री संबंधित मंडी समितियों को प्रदाय की जाकर कार्यपर्णूता प्रमाण पत्र के साथ देयक भुगतान हेतु मुख्यालय की भावान्तर भुगतान योजना शाखा को प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार
(कार्यवाही प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (भा.भु.यो)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्र./मं.बो/भा.भु.यो/02/2017/668 भोपाल दिनांक 8 दिसम्बर 2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. अपर संचालक (वित्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर संचालक कृषि अनुसंधान एवं अद्योसंरचना विकास निधि, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अपर संचालक क्रय, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

अपर संचालक (भा.भु.यो)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26 किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रं./मं.बो/भा.भु.यो/02/2017/669 भोपाल दिनांक 8 दिसम्बर 2017

प्रति,

मैं ओयस्टर सर्विसेस
एच.आई.जी–419,
ई–7, अरेरा कालोनी, भोपाल

विषय : 1.5 के.व्ही.ए. इनवर्टर क्रय के संबंध में।
संदर्भ : आपका पत्र दिनांक 30.11.2017।

–0–

विषयान्तर्गत लेख है कि 1.5 के.व्ही.ए. इनवर्टर जैम के माध्यम से क्रय करने हेतु न्यूनतम दरें आपकी फर्म की होने से दिनांक 29.11.2017 को जैम के माध्यम से ऑनलाईन कार्यादेश प्रदाय किया गया है। जिसमें आपकी फर्म मे. ओयस्टर सर्विस, भोपाल को 81 (1.5 के.व्ही.ए. इनवर्टर) कार्यालय द्वारा प्रदाय की जा रही सूची तथा मंडी की श्रेणी अनुसार दी गई मात्रा के आधार पर संलग्न सूची अनुसार मंडी समितियों को प्रदाय किये जाना है।

उपरोक्तानुसार सुलभ संदर्भ के लिये मंडीयों में प्रदाय किये जाने वाली सामग्री की संख्या तथा मंडीयों की सूची एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रय आदेश की राशि का दो प्रतिशत के मान से बैंक गारंटी का फार्मेट का प्रारूप भी संलग्न है।

अतः दी गई बैंक गारंटी के प्रारूप पर बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रय आदेश की राशि का दो प्रतिशत के मान से बैंक गारंटी तैयार कर शीघ्र मंडी बोर्ड कार्यालय में जमा कराये जाने की व्यवस्था करें, तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री संबंधित मंडी समितियों को प्रदाय की जाकर कार्यपर्णूता प्रमाण पत्र के साथ देयक भुगतान हेतु मुख्यालय की भावान्तर भुगतान योजना शाखा को प्रस्तुत करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
(कार्यवाही प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (भा.भु.यो)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

o/c

क्रं./मं.बो/भा.भु.यो/02/2017/670 भोपाल दिनांक 8 दिसम्बर 2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. अपर संचालक (वित्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर संचालक कृषि अनुसंधान एवं अद्योसंरचना विकास निधि, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अपर संचालक क्रय, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

o/c

अपर संचालक (भा.भु.यो)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26 किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./मं.बो/भा.भु.यो/02/2017/671 भोपाल दिनांक 8 दिसम्बर 2017

प्रति,

मे. आस्था सेल्स,
एच–419, प्रथम तल,
ई–7, अरेरा कालोनी, भोपाल

विषय :– 1. के.व्ही.ए. इनवर्टर क्रय के संबंध में।
संदर्भ :– आपका पत्र दिनांक 30.11.2017।

–0–

विषयान्तर्गत लेख है कि 1. के.व्ही.ए. इनवर्टर जैम के माध्यम से क्रय करने हेतु न्यूनतम दरें आपकी फर्म की होने से दिनांक 22.11.2017 को जैम के माध्यम से ऑनलाईन कार्यादेश प्रदाय किया गया है। जिसमें आपकी फर्म मे. आस्था सेल्स, भोपाल को 176 (1 के.व्ही.ए. इनवर्टर) कार्यालय द्वारा प्रदाय की जा रही सूची तथा मंडी की श्रेणी अनुसार दी गई मात्रा के आधार पर संलग्न सूची अनुसार मंडी समितियों को प्रदाय किये जाना है।

उपरोक्तानुसार सुलभ संदर्भ के लिए मण्डियों में प्रदाय किये जाने वाली सामग्री की संख्या तथा मंडीयों की सूची एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रय आदेश की राशि का दो प्रतिशत के मान से बैंक गारंटी का कार्नेट का प्रारूप भी संलग्न है।

अतः दी गई बैंक गारंटी के प्रारूप पर बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रय आदेश की राशि का दो प्रतिशत के मान से बैंक गारंटी तैयार कर शीघ्र मंडी बोर्ड कार्यालय में जमा कराये जाने की व्यवस्था करें, तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री संबंधित मंडी समितियों को प्रदाय की जाकर कार्यपर्णूता प्रमाण पत्र के साथ देयक भुगतान हेतु मुख्यालय की भावान्तर भुगतान योजना शाखा को प्रस्तुत करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
(कार्यवाही प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (भा.भु.यो)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रं./मं.बो/भा.भु.यो/02/2017/672 भोपाल दिनांक 8 दिसम्बर 2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. अपर संचालक (वित्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर संचालक कृषि अनुसंधान एवं अद्योसंरचना विकास निधि, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अपर संचालक क्रय, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

अपर संचालक (भा.भु.यो)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26 किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./मं.बो/भा.भु.यो/02/2017/673 भोपाल दिनांक 8 दिसम्बर 2017

प्रति,

मे. यश साल्यूशन,
125, शिवलोक फेस–3,
खजूरी कलां रोड, भोपाल

विषय :– यू.पी.एस. क्रय के संबंध में।
संदर्भ :– आपका पत्र दिनांक 30.11.2017।

–0–

विषयान्तर्गत लेख है कि यू.पी.एस जैम के माध्यम से क्रय करने हेतु न्यूनतम दरें आपकी फर्म की होने से दिनांक 22.11.2017 को जैम के माध्यम से ऑनलाईन कार्यादेश प्रदाय किया गया है। जिसमें आपकी फर्म मे. यश साल्यूशन, भोपाल को 443 (यू.पी.एस) कार्यालय द्वारा प्रदाय की जा रही सूची तथा मंडी की श्रेणी अनुसार दी गई मात्रा के आधार पर संलग्न सूची अनुसार मंडी समितियों को प्रदाय किये जाना है।

उपरोक्तानुसार सुलभ संदर्भ के लिये मंडीयों में प्रदाय किये जाने वाली सामग्री की संख्या तथा मंडीयों की सूची एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रय आदेश की राशि का दो प्रतिशत के मान से बैंक गारंटी का फार्मेट का प्रारूप भी संलग्न है।

अतः दी गई बैंक गारंटी के प्रारूप पर बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रय आदेश की राशि का दो प्रतिशत के मान से बैंक गारंटी तैयार कर शीघ्र मंडी बोर्ड कार्यालय में जमा कराये जाने की व्यवस्था करें, तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री संबंधित मंडी समितियों को प्रदाय की जाकर कार्यपर्णूता प्रमाण पत्र के साथ देयक भुगतान हेतु मुख्यालय की भावान्तर भुगतान योजना शाखा को प्रस्तुत करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
(कार्यवाही प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (भा.भु.यो)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्र./मं.बो/भा.भु.यो/02/2017/674 भोपाल दिनांक 8 दिसम्बर 2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. अपर संचालक (वित्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर संचालक कृषि अनुसंधान एवं अद्योसंरचना विकास निधि, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अपर संचालक क्रय, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

अपर संचालक (भा.भु.यो)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

Desktop Computer			
39	42	56	120
A-Class	B-Class	C- Class	D-Class
3	2	2	1

Laptop			
39	42	56	120
A-Class	B-Class	C- Class	D-Class
2	2	1	1

UPS			
39	42	56	120
A-Class	B-Class	C- Class	D-Class
3	2	2	1

Inverter 1 KVA			
39	42	56	120
A-Class	B-Class	C- Class	D-Class
0	0	1	1

Inverter 1.5 KVA			
39	42	56	120
A-Class	B-Class	C- Class	D-Class
1	1	0	0

S.No.	श्रेणीवार मंडीयों का वर्गीकरण	श्रेणीवार मंडी की संख्या	Desktop	Laptop	UPS	Inverter 1 KVA	Inverter 1.5 KVA
1	अ वर्ग की मण्डी कुल संख्या	39	117	78	117	0	39
2	ब वर्ग की मण्डी कुल संख्या	42	84	84	84	0	42
3	स वर्ग की मण्डी कुल संख्या	56	112	56	112	56	0
4	द वर्ग की मण्डी कुल संख्या	120	120	120	120	120	0
5	मुख्यालय		10	0	10	0	0
कुल संख्या			443	338	443	176	81

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियाँ

क्रमांक	संभाग का नाम	जिले का नाम	मण्डी समिति का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5
1	भोपाल	भोपाल	भोपाल	1
2			बैरसिया	2
3		सीहोर	आष्टा	1
4			सीहोर	1
5			नसरुल्लागंज	2
6			बकतरा	3
7			रेहटी	3
8			श्यामपुर	4
9			इछावर	4
10			आवर	4
11		रायसेन	बरेली	1
12			औबेदुल्लागंज	2
13			रायसेन	2
14			उदयपुरा	3
15			बेगमगंज	3
16			गैरतगंज	4
17			सिलवानी	4
18		विदिशा	गंजबासोदा	1
19			विदिशा	1
20			सिरोंज	2
21			शमशाबाद	3
22			लटेरी	3
23			कुरवाई	4
24			गुलाबगंज	4
25		राजगढ़	ब्यावरा	2
26			पचौर	2
27			नरसिंहगढ़	2
28			कुरावर	2
29			खिलचीपुर	4
30			जीरापुर	4
31			सारंगपुर	4
32			खुजनेर	4
33			छापीहेड़ा	4
34			माचलपुर	4
35			सुठालिया	4
36		बैतूल	बैतूल	1
37			मुलताई	4
38			भैंसदही	4
39	भोपाल	हरदा	हरदा	1
40			टिमरनी	1
41			खिरकिया	2
42			सिराली	4
43		होशंगाबाद	पिपरिया	1
44			इटारसी	1
45			बानापुरा	1
46			होशंगाबाद	2
47			सेमरीहरचंद	3
48			बनखेड़ी	3
49			बाबई	4
50	इंदौर	इंदौर	इंदौर	1
51			सांवेर	2
52			महू	2
53			गौतमपुरा	3
54		धार	धार	1
55			बदनावर	1
56			धामनोद	2
57			राजगढ़	1
58			मनावर	2
59			कुक्षी	2
60			गंधवानी	4
61		झाबुआ	पेटलावद	3
62			थांदला	4
63			झाबुआ	4
64		अलिराजपुर	अलिराजपुर	4
65			जोबट	4
66		खरगोन	खरगोन	1
67			सनावद	2
68			भीकनगांव	2
69			बड़वाह	3
70			करही	4
71			कसरावद	4
72			सेगांव	4

1	2	3	4	5
73	इंदौर	बड़वानी	सेंधवा	1
74			अंजड़	3
75			खेतिया	3
76			बड़वानी	4
77			बलवाड़ी	4
78		खंडवा	खंडवा	1
79			हरसूद	3
80			पंधाना	3
81		बुरहानपुर	बुरहानपुर	2
82	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	1
83			बड़नगर	1
84			महिदपुर	2
85			तराना	2
86			खाचरोद	3
87			नागदा	3
88			उन्हेल	4
89		देवास	देवास	1
90			खातेगांव	1
91			सोनकच्छ	3
92			लोहार्दा	3
93			कन्नोद	3
94			हाटपिपल्या	4
95			बागली	4
96		मंदसौर	मंदसौर	1
97			पिपल्या	2
98			शामगढ़	4
99			गरोठ	4
100			सुवासरा	4
101			सीतामऊ	4
102			भानपुरा	4
103			दलोदा	4
104		नीमच	नीमच	1
105			मनासा	3
106			जावद	4

1	2	3	4	5
107	उज्जैन	रतलाम	जावरा	1
108			रतलाम	1
109			सैलाना	2
110			आलोट	4
111			ताल	4
112		शाजापुर	शुजालपुर	1
113			शाजापुर	2
114			कालापीपल	3
115			मक्सी	4
116			अकोदिया	4
117			मोमनबड़ोदिया	4
118			बेरछा	4
119		आगर-मालवा	आगर	1
120			नलखेड़ा	3
121			सुसनेर	4
122			बड़ोद	4
123			सोयतकलाँ	4
124	ग्वालियर	दतिया	दतिया	2
125			सेवढ़ा	3
126			भाण्डेर	4
127		ग्वालियर	डबरा	1
128			लश्कर	2
129			भीतरवार	3
130		गुना	गुना	1
131			कुम्भराज	2
132			आरोन	3
133			बीनागंज	3
134			मकसूदनगढ़	3
135			राघोगढ़	4
136		अशोकनगर	अशोकनगर	1
137			मुंगावली	2
138			ईसागढ़	4
139			शाढोरा	4
140			पिपरई	4
141			चंदेरी	4

1	2	3	4	5
142	ग्वालियर	शिवपुरी	कोलारस	2
143			बदरवास	3
144			शिवपुरी	3
145			करेरा	3
146			पिछोर	3
147			पोहरी	4
148			खनियाधाना	4
149			मगरोनी	4
150			खतोरा	4
151			रन्नौद	4
152			बैराड	4
153		भिण्ड	भिण्ड	4
154			गोंहद	4
155			आलमपुर	4
156			लहार	4
157			मेंहगांव	4
158			मौं	4
159		मुरैना	मुरैना	3
160			कैलारस	4
161			सबलगढ़	4
162			पोरसा	4
163			अम्बाह	4
164			जोरा	4
165			बानमोरकलॉं	4
166		श्योपुर	श्योपुरकलॉं	2
167			श्योपुरबड़ोद	3
168			विजयपुर	4
169	सागर	सागर	सागर	1
170			बीना	2
171			खुरई	2
172			देवरी	3
173			गढ़ाकोटा	3
174			बण्डा	3
175			रेहली	4
176			बामोरा	4
177			राहतगढ़	4
178			शाहगढ़	4
179			केसली	4
180			जैसीनगर	4
181			मालथौन	4
182	सागर	दमोह	दमोह	1
183			पथरिया	3
184			जबेरा	3
185			हटा	4
186		छतरपुर	हरपालपुर	2
187			छतरपुर	3
188			बड़ामल्हैरा	3
189			राजनगर	3
190			लवकुशनगर "लौंड़ी"	4
191			बिजावर	4
192			बकस्वाहा	4
193			नौगांव	4
194		पन्ना	पन्ना	4
195			अजयगढ़	4
196			देवेन्द्रनगर	3
197			पवई	4
198			सिमरिया	4
199		टीकमगढ़	टीकमगढ़	2
200			निवाड़ी	[illegible]
201			जतारा	3
202			खरगापुर	3
203			पलेरा	4
204			पृथ्वीपुर	4
205	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	1
206			सिहोरा	1
207			शहपुरा "भिटोनी"	2
208			पाटन	4
209		कटनी	कटनी	1
210		बालाघाट	वारासिवनी	3
211			बालाघाट	3
212			कटंगी	4
213			लालबर्रा	4
214			परसवाड़ा	4
215			मोहगांव	4
216			बैरलांजी	4

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5
217	जबलपुर	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	1
218			चौरई	3
219			सौंसर	2
220			पांढुर्ना	3
221			अमरवाड़ा	4
222		मंडला	मंडला	3
223			बिछिया	4
224			नैनपुर	4
225		डिंडोरी	गोरखपुर	4
226			डिंडोरी	4
227			शहपुरा "निवास"	4
228		नरसिंहपुर	गाडरवाड़ा	2
229			करेली	2
230			नरसिंहपुर	2
231			गोटेगांव	2
232			तेंदूखेड़ा	4
233		सिवनी	सिवनी	2
234			केवलारी	3
235			बरघाट	3
236			छपारा	4
237			घंसौर	4
238			लखनादौन	4
239			पलारी	4
240	रीवा	रीवा	रीवा	3
241			चाकघाट	3
242			बैकुण्ठपुर	4
243			हनुमना	4
244		सतना	सतना	1
245			नागोद	2
246			अमरपाटन	4
247			मैहर	4
248			रामनगर	4
249		शहडोल	शहडोल	4
250			ब्योहारी	4
251			बुढ़ार	4
252		अनूपपुर	अनूपपुर	4
253			जैतहरी	4
254			कोतमा	4
255		उमरिया	उमरिया	3
256		सीधी	सीधी	3
257		सिंगरौली	सिंगरौली	4

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / नियमन / ई मंडी / 2017–18 / 521/4013 भोपाल, दिनांक 1 / 02 / 2018

प्रति,

1. संयुक्त / उपसंचालक
   म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   आंचलिक कार्यालय, ...(समस्त)
2. सचिव
   कृषि उपज मण्डी समिति............................
   जिला ...., म0प्र0 (समस्त)।

विषयः–दिनांक 01.04.2018 से ऑन लाईन अनुज्ञा जारी करने हेतु संसाधन अद्यतन किये जाने बाबत्।

संदर्भः–परिपत्र क्रमांक / नियमन / अनुज्ञा पत्र / 521 / 3078 भोपाल, दिनांक 27.01.2018.

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र से प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में ऑन लाईन अनुज्ञा पत्र जारी करने, प्रवेश अनुबंध, तौल, भुगतान पत्रक की जानकारियों को अद्यतन ऑन लाईन प्रविष्टि करने तथा पाक्षिक विवरणी व वार्षिक विवरणी डिजीटल प्राप्त कर, कम्प्यूटरीकृत लेखा सत्यापन प्रणाली विकसित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये है –

1) समय– समय पर विभिन्न समेकित अथवा एकल निर्देशों से मंडियों व आंचलिक कार्यालयों को कम्प्यूटर हार्डवेयर व संबंधित उपकरण हेतु अनुमतियॉं जारी की गई।

2) मंडी बोर्ड के परिपत्र क्रमांक / बोर्ड / स्वी / विविध / 742 / पार्ट / 171 भोपाल, दिनांक 28.05.2012 तथा परिपत्र क0 / बोर्ड / स्वी / विविध / 757 / 303 भोपाल, दिनांक 09.06.2015 से मंडियों में डिजीटल प्रणाली हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण भंडार क्रय नियम का पालन कर, क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति दी गई।

3) मंडी बोर्ड द्वारा परिपत्र क्रमांक / ई–नेम / 2016–17 / 7729 भोपाल, दिनांक 09.03.2017 से ई–नेम अंतर्गत 58 मंडियों में कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, लेपटॉप, टेबलेट, जनरेटर, इनवर्टर, इंटरनेट कनेक्शन तथा सीसी टीवी केमरा हेतु राशि रू. 16.00 लाख आवंटित की गई। कर्मचारियों / अधिकारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राशि रू. 1.00 लाख की स्वीकृति दी गई। उक्त कार्य म0प्र0 भण्डार क्रय नियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किये जाने के निर्देश दिये गये।

4) इसी प्रकार भावांतर भुगतान योजना हेतु ए. बी. सी, व डी वर्ग की मंडियों हेतु हार्डवेयर के स्पेसीफिकेशन व आवश्यक संख्या संलग्न परिशिष्ट अनुसार निर्धारित कर भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाकर उपलब्ध करने की कार्यवाही की गई।

5) बिन्दु कमांक 1, 2, 3 व 4 से स्पष्ट है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में कम्प्यूटरीकरण किये जाने के लिये एगमार्कनेट प्रणाली, ई–अनुज्ञा प्रणाली, वित्तीय प्रबंध की Tally प्रणाली, ई–नेम प्रणाली तथा भावांतर भुगतान योजना प्रणाली हेतु पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रानिक उपकरण उपलब्ध कराये गये। तथा कय किये जाने हेतु भी कृषि उपज मंडियों और आंचलिक कार्यालयों को समय–समय अनुमति दी गई है। जिसके परिणामस्वरूप मंडियों में समुचित मात्रा में कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण व उन्हें परिचालन करने हेतु प्रशिक्षित दक्ष जनशक्ति उपलब्ध है।

6) उपरोक्त स्थितियों के पश्चात् भी ई–मंडी प्रणाली व ई–अनुज्ञा प्रणाली ऑन लाईन किये जाने के लिये यदि कोई अतिरिक्त कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण की आवश्यकता है तो संबंधित मंडी सचिव औचित्य प्रतिपादित करते हुए संलग्न परिशिष्ट–1 में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, कॉनफिग्रेशन के कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण म0प्र0 भण्डार कय नियम की प्रकिया अपनाते हुए मंडी निधि से कय कर सकेंगे।

7) साथ ही म0प्र0 भण्डार कय प्रक्रिया/नियमों का पालन करते हुए पूर्व से उपलब्ध कम्प्यूटर हार्डवेयर, डिजीटल इलेक्ट्रानिक उपकरणों व वर्तमान उपार्जित कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरणों की वार्षिक मेंटनेंस व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

8) स्पष्ट है कि कृषि उपज मंडियों व आंचलिक कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर परिचालन हेतु दक्ष कर्मी उपलब्ध है तथा मंडियों में नियुक्त समस्त स्टाफ को कम्प्यूटर परिचालन हेतु प्रशिक्षित भी लगातार किया जाता रहा है, जिसके लिये समय–समय पर पर्याप्त राशि का आवंटन करते हुए अनुमति भी प्रदान की गई है। फिर भी यदि ई–मंडी, ई–अनुज्ञा, ई–नेम, टेली, भावांतर आदि ऑन लाईन कम्प्यूटरीकरण योजना के लिये जनशक्ति की आवश्यकता होती है तो औचित्य दर्शाते हुए, की गई समीक्षा लिपीबद्ध करते हुए संबंधित मंडी सचिव/आंचलिक अधिकारी, जनशक्ति उपलब्ध करने हेतु नियुक्त ऐजेंसी से समुचित संख्या में कर्मी प्राप्त कर सकेंगे।

9) उपरोक्तानुसार विभिन्न संयंत्रों में कय किये गये कम्प्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा प्राप्त किये कर्मीयों का औचित्य स्पष्ट करते हुवे प्रतिवेदन मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें तथा निरन्तर उपयोगिता की समीक्षा करते हुवे प्रतिवेदन देवे।

1/2/18

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल